



2026:AHC:64383

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आवेदन अंतर्गत बीएनएसएस की धारा 528 संख्या - 12311 वर्ष 2026

सैयद हेलाब अब्बास ज़फ़री एवं एक अन्य

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....प्रतिपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

: धीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव

प्रतिपक्षी(गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता, मनोज कुमार मिश्रा

न्यायालय संख्या - 80

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री धीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, सूचनाकर्ता-विपक्षी संख्या 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज कुमार मिश्रा और राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।

2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के अंतर्गत वर्तमान आवेदन, अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन), न्यायालय संख्या 2, वाराणसी द्वारा पारित संज्ञान/सम्मन आदेश दिनांक 23.12.2024 और आरोप-पत्र दिनांक 27.11.2024 के साथ-साथ मुकदमा अपराध संख्या 161/2024, अन्तर्गत धारा 354-सी, 376(2)(एन), 504, 506 भारतीय दंड संहिता, थाना आदमपुर, जिला वाराणसी से उत्पन्न आपराधिक वाद संख्या 2001/2025 (राज्य बनाम सैयद हेलाब अब्बास ज़फ़री एवं अन्य) की संपूर्ण कार्यवाही को रद्द करने के लिए दायर किया गया है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि एक वैवाहिक विवाद को आपराधिक अपराध में बदल दिया गया है। आवेदक संख्या 1, विपक्षी संख्या 2 का पति है, जबकि आवेदक संख्या 2, विपक्षी संख्या 2 का जेठ है। यह प्रस्तुत किया गया है कि विपक्षी संख्या 2 द्वारा वर्तमान आवेदकों के विरुद्ध दिनांक 26.10.2024 को थाना आदमपुर, जिला वाराणसी में मुकदमा अपराध संख्या 161/2024, धारा 354-सी, 376(2)(एन), 504, 506 भारतीय दंड संहिता

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के तहत एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, हालांकि, दिनांक 18.02.2026 को पक्षों के बीच समझौता हो गया है और पक्षों के बीच यह सहमति बनी है कि इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त मामले की कार्यवाही रद्द होने के बाद विवाहित जोड़ा तलाक ले लेगा। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि पक्षों के बीच वैवाहिक विवाद सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझ गया है, इसलिए दिनांक 18.02.2026 के समझौते के आलोक में वर्तमान आवेदकों के विरुद्ध कार्यवाही रद्द कर दी जाए।

4. यह भी तर्क दिया गया है कि उक्त समझौते के आलोक में, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **बी.एस. जोशी बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य, 2003(4) एससीसी 675** तथा **ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य, 2012(10) एससीसी 303** के मामलों में दिए गए निर्णयों के आधार पर अवर न्यायालय के समक्ष लंबित कार्यवाहियों को रद्द कर दिया जाना चाहिए।

5. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्क के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **नरिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2014) 6 एससीसी 466**, **योगेंद्र यादव बनाम झारखंड राज्य, (2014) 9 एससीसी 653** तथा **परबतभाई अहीर बनाम गुजरात राज्य, (2017) 9 एससीसी 641** के मामलों में दिए गए निर्णयों पर भरोसा जताया है और यह प्रस्तुत किया है कि आवेदकों और विपक्षी संख्या 2 ने समझौते के माध्यम से अपने मतभेदों को सुलझा लिया है और इस नाते विपक्षी संख्या 2 आवेदकों के विरुद्ध उपरोक्त मामले को आगे बढ़ाने की इच्छुक नहीं है। विपक्षी संख्या 2 आवेदकों के विरुद्ध अभियोजन वापस लेने के लिए तैयार है और समझौते को देखते हुए, यदि अभियोजन को जारी रखने की अनुमति दी जाती है, तो इसका कोई सार्थक उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा।

6. दूसरी ओर, विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को उपरोक्त तर्कों पर कोई आपत्ति नहीं है।

7. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **बी.एस. जोशी (उपरोक्त)** के मामले में यह निर्धारित किया है कि यदि पक्षों के बीच समझौते/निपटारे के तहत विवाद समाप्त हो गया है, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 320 में निहित किसी भी बात के बावजूद, पक्षों के बीच दर्ज समझौते के आलोक में इस न्यायालय के लिए अपनी अंतर्निहित शक्तियों के तहत धारा 498-ए भारतीय दंड संहिता आदि की कार्यवाही को रद्द करने में कोई कानूनी बाधा नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **ज्ञान सिंह (उपरोक्त)** के मामले में पैरा-61 में यह निर्धारित किया है कि:

*अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*



"आपराधिक कार्यवाही या प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत को रद्द करने में उच्च न्यायालय की अंतर्निहित क्षेत्राधिकार की शक्ति, संहिता की धारा 320 के तहत अपराधों के शमन के लिए आपराधिक न्यायालय को दी गई शक्ति से सुस्पष्ट और भिन्न है। अंतर्निहित शक्ति व्यापक है और इसकी कोई वैधानिक सीमा नहीं है, लेकिन इसका प्रयोग उस शक्ति में निहित दिशानिर्देशों के अनुरूप किया जाना चाहिए, जैसे कि; (i) न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए या (ii) किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए। किन मामलों में अपराधी और पीड़ित द्वारा अपने विवाद को सुलझा लेने पर आपराधिक कार्यवाही या शिकायत या प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करने की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा और इसके लिए कोई निश्चित श्रेणी निर्धारित नहीं की जा सकती। हालांकि, इस तरह की शक्ति का प्रयोग करने से पहले, उच्च न्यायालय को अपराध की प्रकृति और गंभीरता पर उचित ध्यान देना चाहिए। जघन्य और गंभीर अपराध जो मानसिक विकृति से जुड़े हों या हत्या, बलात्कार, डकैती आदि जैसे अपराधों को उचित रूप से रद्द नहीं किया जा सकता है, भले ही पीड़ित या पीड़ित के परिवार और अपराधी ने विवाद को सुलझा लिया हो। ऐसे अपराध निजी प्रकृति के नहीं होते और इनका समाज पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। इसी तरह, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जैसे विशेष कानूनों के तहत आने वाले अपराधों या सार्वजनिक सेवाओं द्वारा उस क्षमता में कार्य करते हुए किए गए अपराधों आदि के संबंध में पीड़ित और अपराधी के बीच कोई भी समझौता, ऐसे अपराधों से जुड़ी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने का आधार नहीं बन सकता। परंतु वे आपराधिक मामले जिनमें अत्यधिक और मुख्य रूप से दीवानी स्वरूप झलकता है, रद्दीकरण के उद्देश्य से एक अलग धरातल पर खड़े होते हैं, विशेष रूप से वे अपराध जो वाणिज्यिक, वित्तीय, व्यापारिक, दीवानी, साझेदारी या इसी तरह के लेन-देन से उत्पन्न होते हैं या दहेज आदि से संबंधित विवाह से उत्पन्न होने वाले अपराध या पारिवारिक विवाद जहाँ दोष मूलतः निजी या व्यक्तिगत प्रकृति का है और पक्षों ने अपने संपूर्ण विवाद को सुलझा लिया है। मामलों की इस श्रेणी में, उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर सकता है यदि उसकी दृष्टि में, अपराधी और पीड़ित के बीच समझौते के कारण, दोषसिद्धि की संभावना क्षीण और धुंधली है तथा आपराधिक मामले को जारी रखना अभियुक्त के लिए भारी उत्पीड़न और पूर्वाग्रह का कारण बनेगा और पीड़ित के साथ पूर्ण एवं मुकम्मल सुलह व समझौते के बावजूद आपराधिक



मामले को रद्द न करने से उसके प्रति अत्यधिक अन्याय होगा। दूसरे शब्दों में, उच्च न्यायालय को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या पीड़ित और अपराधी के बीच समझौते के बावजूद आपराधिक कार्यवाही को जारी रखना अनुचित या न्याय के हित के विपरीत होगा, या क्या आपराधिक कार्यवाही को जारी रखना कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग के समान होगा और क्या न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए यह उचित है कि आपराधिक मामले को समाप्त कर दिया जाए; और यदि उपरोक्त प्रश्न (प्रश्नों) का उत्तर सकारात्मक है, तो उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के अपने क्षेत्राधिकार के भीतर होगा।"

8. राम गोपाल एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (आपराधिक अपील संख्या 1488/2012), जिसका निर्णय 29.9.2021 को हुआ और जो (2022) 118 एसीसी 318 में रिपोर्ट किया गया है, के एक हालिया निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने एक बार फिर दोहराया है कि भले ही अपराध गैर-शमनीय हों, उच्च न्यायालय अपराधों की प्रकृति और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पक्षों ने अपने विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया है और पीड़ित ने स्वेच्छा से आपराधिक कार्यवाही को शून्य करने के लिए सहमति दी है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्यवाही को रद्द कर सकता है। ऐसा निर्णय देते समय, यह इंगित किया गया है कि उच्च न्यायालय निर्विवाद रूप से किसी व्यक्ति के शरीर से परे अपराध के परिणामी प्रभावों का मूल्यांकन कर सकता है और उसके बाद एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपना सकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अपराध, भले ही बिना सजा के रह जाए, आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन के मूल उद्देश्य के साथ छेड़छाड़ न करे या उसे पंगु न बनाए। उक्त निर्णय के पैरा 14 में सिद्धांतों का सार इस प्रकार दिया गया है: -

"14. दूसरे शब्दों में, जघन्य या गंभीर अपराध अथवा ऐसे अपराध जिनमें नैतिक अधमता शामिल हो या जिनका समाज के सामाजिक और नैतिक ढांचे पर हानिकारक प्रभाव पड़ता हो या जिनमें सार्वजनिक नीति से संबंधित मामले शामिल हों, उन्हें केवल दो व्यक्तियों या समूहों के बीच का मामला नहीं माना जा सकता, क्योंकि ऐसे अपराधों में बड़े पैमाने पर समाज को प्रभावित करने की क्षमता होती है। रद्दीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से घृणित अपराधों को मिटाना न केवल समुदाय को गलत संकेत देगा, बल्कि उन अनैतिक आदतन या पेशेवर अपराधियों को अनुचित लाभ भी प्रदान कर सकता है, जो दबाव, धमकी,



सामाजिक बहिष्कार, रिश्वत या अन्य संदिग्ध साधनों के माध्यम से 'समझौता' हासिल कर सकते हैं। यह ठीक ही कहा गया है कि "यदि बचा जा सके, तो किसी भी दोषी व्यक्ति को भागने न दें।"

9. उच्चतम न्यायालय ने एक अन्य निर्णय **मधुकर एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य**, जो एसएलपी (आपराधिक) संख्या 7212/2025 से उत्पन्न है, साथ में **प्रभाकर बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य**, जो एसएलपी (आपराधिक) संख्या 7495/2025 से उत्पन्न है, में पक्षों के बीच समझौते के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 302/2023, दिनांक 20.11.2023, धारा 324, 141, 143, 147, 149, 452, 323, 504 और 506 भारतीय दंड संहिता, 1860 की कार्यवाहियों के साथ-साथ मुकदमा अपराध संख्या 304/2023, दिनांक 21.11.2023, धारा 376, 354-क, 354-घ, 509 और 506 भारतीय दंड संहिता की कार्यवाहियों को रद्द कर दिया। उक्त निर्णय के पैराग्राफ संख्या 6, 7 और 8 यहाँ उद्धृत किए गए हैं: -

"6. प्रारंभ में, हम यह स्वीकार करते हैं कि धारा 376 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध निस्संदेह गंभीर और जघन्य प्रकृति का है। सामान्यतः, पक्षों के बीच समझौते के आधार पर ऐसे अपराधों से जुड़ी कार्यवाही को रद्द करने को हतोत्साहित किया जाता है और इसे हल्के में अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। हालांकि, न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत न्यायालय की शक्ति किसी कठोर सूत्र से बंधी नहीं है और इसका प्रयोग प्रत्येक मामले के तथ्यों के संदर्भ में किया जाना चाहिए।

7. वर्तमान मामले में, हम एक असामान्य स्थिति का सामना कर रहे हैं जहाँ धारा 376 भारतीय दंड संहिता सहित गंभीर आरोपों वाली प्रथम सूचना रिपोर्ट, विपक्षी पक्ष द्वारा दर्ज कराई गई एक पिछली प्रथम सूचना रिपोर्ट के तुरंत बाद दर्ज की गई थी। घटनाओं का यह क्रम आरोपों को एक निश्चित संदर्भ प्रदान करता है और संकेत देता है कि दूसरी प्रथम सूचना रिपोर्ट एक प्रतिक्रियात्मक कदम हो सकती है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरी प्रथम सूचना रिपोर्ट की शिकायतकर्ता ने स्पष्ट रूप से मामले को आगे न बढ़ाने की अपनी इच्छा व्यक्त की है। उसने प्रस्तुत किया है कि वह अब विवाहित है, अपने व्यक्तिगत जीवन में व्यवस्थित है, और आपराधिक कार्यवाही को जारी रखने से उसकी शांति और स्थिरता में केवल बाधा ही आएगी। उसका रुख न तो अनिश्चित है और न ही संदिग्ध, उसने रिकॉर्ड पर मौजूद हलफनामे के माध्यम से भी लगातार यह बनाए रखा है कि वह



अभियोजन का समर्थन नहीं करती है और चाहती है कि मामला समाप्त हो जाए। पक्षों ने सौहार्दपूर्ण ढंग से अपने मतभेदों को भी सुलझा लिया है और एक आपसी समझ पर पहुँचे हैं। इन परिस्थितियों में, विचारण को जारी रखने से कोई सार्थक उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। यह केवल संबंधित सभी लोगों, विशेष रूप से शिकायतकर्ता के लिए संकट को बढ़ाएगा और किसी उत्पादक परिणाम की संभावना के बिना न्यायालयों पर बोझ डालेगा।

8. अतः, इस मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, तथा शिकायतकर्ता द्वारा अपनाए गए सुस्पष्ट रुख और समझौते की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, हमारी यह राय है कि आपराधिक कार्यवाही को जारी रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा और यह केवल प्रक्रिया के दुरुपयोग के समान होगा।

10. मैंने अभियुक्तों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों का अवलोकन किया है और मेरी यह राय है कि ये ऐसी प्रकृति के नहीं हैं जो उन अपवादित श्रेणी के मामलों के अंतर्गत आते हों जहाँ कार्यवाही को रद्द करना और अभियुक्त को बिना सजा के जाने देना, बड़े पैमाने पर समाज पर कोई हानिकारक प्रभाव डालेगा। चूंकि पक्षों ने पहले ही अपना विवाद सुलझा लिया है, इसलिए आवेदकों की दोषसिद्धि की कोई संभावना नहीं है। वास्तव में, आवेदकों के विरुद्ध आरोप निहित रूप से वापस लिए गए और छोड़ दिए गए माने जाते हैं, अतः न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए, कार्यवाहियां रद्द किए जाने योग्य हैं।

11. अभिलेखों के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि पक्षों के बीच समझौता हो गया है और प्रतीत होता है कि उन्होंने अपने वास्तविक विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया है, जिसे अवर न्यायालय द्वारा सत्यापित भी किया जा चुका है और उस रिपोर्ट की प्रति रिकॉर्ड पर मौजूद है। इस प्रकार, यह आगे प्रतीत होता है कि विपक्षी संख्या 2, जो विचारण आगे बढ़ने की स्थिति में मुख्य अभियोजन गवाह होती, ने विचारण के दौरान पक्षद्रोही होने के अपने स्पष्ट इरादे की घोषणा कर दी है। ऐसी परिस्थितियों में, यह स्पष्ट है कि गुणों-दोषों और सच्चाई से परे, यदि विचारण की कार्यवाही जारी रखने की अनुमति दी जाती है, तो यह काफी हद तक विद्वान अवर न्यायालय के कीमती समय की बर्बादी ही होगी।

12. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा पक्षों के बीच हुए समझौते के संबंध में दिए गए तर्कों पर विचार करते हुए और इन सभी कारकों को संचयी रूप से ध्यान में रखते हुए, पक्षों के बीच समझौते को स्वीकार किया जाता है; और साथ ही माननीय

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उच्चतम न्यायालय द्वारा ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य, 2012(10) एससीसी 303, नरिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य (उपरोक्त), योगेंद्र यादव बनाम झारखंड राज्य (उपरोक्त) तथा परबतभाई अहीर बनाम गुजरात राज्य (उपरोक्त) एवं मधुकर (उपरोक्त) के मामलों में प्रतिपादित कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त मामले की संपूर्ण कार्यवाही को एतद्वारा रद्द किया जाता है।

13. उपरोक्त के आलोक में, अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन), न्यायालय संख्या 2, वाराणसी द्वारा पारित संज्ञान/सम्मन आदेश दिनांक 23.12.2024 और आरोप-पत्र दिनांक 27.11.2024 के साथ-साथ मुकदमा अपराध संख्या 161/2024, अन्तर्गत धारा 354-सी, 376(2)(एन), 504, 506 भारतीय दंड संहिता, थाना आदमपुर, जिला वाराणसी से उत्पन्न आपराधिक वाद संख्या 2001/2025 (राज्य बनाम सैयद हेलाब अब्बास जफरी एवं अन्य) की संपूर्ण कार्यवाही को एतद्वारा रद्द किया जाता है।

14. तदनुसार, आवेदन स्वीकार किया जाता है।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

28 मार्च, 2026

ललित शुक्ला